न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 30 वर्ष 2023

आवेदक–जगदम्ब तुरी
ग्राम – बारमसिया
थाना – जरीडीह जिला–बोकारो

क्रेता– प्रेमनाथ तुरी
ग्राम –बारमसिया
थाना –जरीडीह जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
24.11.2023	(नीचे देखें)	C.C. [illegible] 11/01/24

आदेश

यह वाद जगदम्ब तुरी पिता स्व0 सुकर तुरी निवासी ग्राम बारमसिया थाना जरीडीह जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बारमसिया	90	14	485	2.11 ए0	0.33 ए0	कृषि योग्य

को वे अपने आवश्यक कार्य हेतु मो0 1,73,000/– (एक लाख तेहतर हजार) रूपये में क्रेता– प्रेमनाथ तुरी पिता शत्रुधन तुरी निवास ग्राम बारमसिया थाना जरीडीह जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 831/रा0 दिनांक 27.06.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, जरीडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, जरीडीह के पत्रांक 875 दिनांक 11.07.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं केता तुरी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं । बिक्रेता ग्राम एवं क्रेता ग्राम बारमसिया थाना जरीडीह जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में दरबारी तुरी वगैरह कौम तुरी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी गोवर्धन तुरी वगैरह के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 24/1 में दर्ज है एवं लगान रसीद गोवर्धन तुरी वगैरह के नाम से चल रही है तथा लगान रसीद 2022–23 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि खतियान द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध पिता–पुत्र का है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने

ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज के नाम दरबारी तुरी वगैरह के नाम से सर्वेखतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी गोवर्धन तुरी वगैरह के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– दरबारी तुरी वगैरह के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, गोवर्धन तुरी वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी जरीडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता तुरी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिकेता एवं क्रेता दोनों एक ही, ग्राम थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः जगदम्ब तुरी पिता स्व0 सुकर तुरी निवासी ग्राम बारमसिया थाना जरीडीह जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
बारमसिया	14	485	2.11 ए0	0.33 डी0	कलेवर महतो	तिलकधारी महतो	फेकन महतो	बिकेता नीज
कुल 0.33 डी0 (तैंतीस) डिसमिल जमीन मात्र।								

मो0 1,73,000/– (एक लाख तेहतर हजार)रूपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– प्रेमनाथ तुरी पिता शत्रुधन तुरी निवास ग्राम बारमसिया थाना जरीडीह जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.08.28 12:37:53 +05:30
Location: 192.168.1.2